संख्या-1352/6 ...

श्री देवेन्द्र स्वरूप,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0 ।
समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी,
उ0प्र0 ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 1999

विषय :- निराश्रित विधवा पेंशन को वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने ग्राम पंचायतों को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है कि विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि की चेकों का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में किया जायें । इस प्रयोजनार्थ शासनादेश संख्या-1295/60-3-99-3(144)/99 दिनांक 14-07-99 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रथम चरण में निराश्रित विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पा रही महिलाओं की सूची ग्राम पंचायतवार बनवाकर उसकी एक-एक प्रति विलम्बतम 31-7-99 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत को एवं सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायें । चेकों की धनराशि का ग्राम पंचायतों के माध्यम से वितरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी ग्राम पंचायतवार बनायी गयी सूची के अनुसार लाभार्थियों के पक्ष में यथा नियम एक बार में 6-माह का "एकाउन्ट पेयी" चेक (वर्ष में दो बार) ग्राम पंचायतवार जारी करके सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध करायेंगे । खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा उक्त चेकों को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्राप्त चेकों को सम्बन्धित लाभार्थियों को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वितरित करायेंगे । तदुपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा वितरित किये गये चेकों की प्राप्ति एवं अवितरित चेक, यदि कोई हो, को (अवितरित होने के कारण सहित) खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को बिना किसी

क्रमशः--पृष्ठ-2

विलम्ब के उपलब्ध कराया जायेगा) खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी द्वारा (पंचायत) अपने विकास खण्ड क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों से उपर्युक्त विवरण प्राप्ति रसीद एवं अवितरित चेक प्राप्त कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को बिना किसी विलम्ब के उपलब्ध कराया जायेगा ।

2— मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि (जिन मामलों में क्रेडिट एडवाइस के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि अन्तरित की जाती हो, वहाँ उक्त व्यवस्था बनायी रखी जायेगी और वहाँ अन्तरण की बैंकवार लाभार्थी सूची ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी) ताकि ग्राम पंचायतों के संज्ञान में सम्पूर्ण स्थिति रहे ।

भवदीय,

दे०स्व० 20।2।24

(देवेन्द्र स्वरूप)

उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या—1352(1)/60—3—99—3(144)/99 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
2— प्रमुख सचिव एवं आयुक्त समाज कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ ।
3— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
4— निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें ।
5— समस्त मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
6— सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
7— निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ ।

आज्ञा से

देवेन्द्र स्वरूप

(देवेन्द्र स्वरूप)

उप सचिव